न्यायालय, अपर समाहर्त्ता–सह–अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–223 / 2019–20

(खगड़िया थाना कांड सं0–564 / 2019)

राज्य बनाम केवल मंडल

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख–सहित
1	2	3
17.11.21	**आदेश** प्रस्तुत वाद पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक 2642 / हि0शा0 दिनांक 13.09.2019 के द्वारा खगड़िया थाना कांड संख्या–564 / 2019, दिनांक 26.07.2019, धारा–30ए बिहार मद्य निषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 में जप्त एक मोटर साईकिल वाहन संख्या–**BR34L-8762** को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 (संशोधित अधिनियम, 2018) की धारा–58 के अंतर्गत राजसात करने के समर्पित प्रस्ताव के आलोक में आरंभ किया गया। पुलिस अवर निरीक्षक, खगड़िया थाना के प्रतिवेदन दिनांक–31.08.2019 के अनुसार दिनांक–26.07.2019 को गुप्त सूचना मिला की एक व्यक्ति मोटर साईकिल से शराब लेकर आने वाला है तथा शहर में किसी को आपूर्ति की जानेवाली है। प्राप्त सूचना के सत्यापन व अग्रिम कार्रवाई हेतु थाना से अपने रिजर्व गार्ड के साथ बेंजामिन चौक की ओर प्रस्थान किया तथा बाटा जूता दुकान के पास पहुँचा तभी सामने से एक मोटर साईकिल सवार पुलिस को देखते ही अचानक गाड़ी रोक कर किनारे लगाने लगा। शक के आधार पर साथ के सशस्त्र बल के सहयोग से घेरकर उस व्यक्ति को रोककर नाम पता पूछने पर अपना नाम संजीत कुमार साह पे0–श्री महेन्द्र साव सा0–सोरायडीह थाना–मुफ्फसिल बताया। पकड़ाये व्यक्ति एवं मोटर साईकिल वाहन सं0– **BR34L-8762** तथा उस पर रखा हुआ सामानों की तलाशी हेतु गवाहों को खोंजे परन्तु कोई उपस्थित नहीं हुए तो साथ के सि0 271 प्रेम चन्द कुमार एवं सि0–522 लालजीत कुमार को साक्षी मानकर पकड़ाये व्यक्ति संजीत कुमार की तलाशी लिया तो उसके साथ मोटर साईकिल के पीछे सीट पर एक बड़ा झोला मिला। जिसे खोलने पर 72 (बहत्तर) पीस केन बीयर 500 एम0एल0का एवं 750 एम0एल0 का 05 (पाँच) बोतल कुल–39.750 लीटर विदेशी शराब बरामद किया गया। उक्त शराब के बारे में पूछने पर पकड़ाये व्यक्ति ने बताया कि कुल–9000 (नौ हजार) रूपयें में शराब बंगाल से खरीदकर बस से लाये है तथा नौगछिया में उतारकर वहाँ से मोटर साईकिल से लेकर यहाँ आये है। पकड़ाये शराब को विधिवत जप्ती सूची बनाकर जप्त किया। जप्ती सूची पर साक्षियों ने स्वेच्छापूर्वक अपने–अपने हस्ताक्षर किये तथा जप्ती सूची की एक प्रति पकड़ाये व्यक्ति को दिया गया। इसके पश्चात विधिवत गिरफ्तारी मेमो बनाकर अभियुक्त संजीत कुमार साह को गिरफ्तार किया तथा इनके परिजनों को गिरफ्तारी की सूचना दी गयी। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि उक्त	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की कार्रवाई के बारे टिप्पणी तारीख–सहित
	वाहन एवं व्यक्तियों के विरूद्ध खगड़िया थाना कांड संख्या–564/2019 दिनांक 26.07.2019 धारा–30(ए) बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के तहत प्राथमिकी दर्ज किया गया है। चूँकि अवैध शराब/मादक द्रव्य/नशीली पदार्थ की खरीद– बिक्री, भंडारण, परिवहन, सेवन आदि को बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 के अंतर्गत निषेध किया गया है एवं 30(ए) के तहत दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है, इसलिए पुलिस अधीक्षक, खगड़िया से प्राप्त उक्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार मद्यनिषेध एवं उत्पाद अधिनियम, 2016(संशोधित अधिनियम 2018) के अंतर्गत वाद प्रारंभ करने का पर्याप्त आधार पाते हुए उक्त अधिनियम की धारा–58 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारंभ की गई। अवैध रूप से शराब के खरीद–बिक्री, भंडारण एवं परिवहन के आरोप में उक्त सभी व्यक्तियों एवं वाहनों के वाहन स्वामी से इस न्यायालय के द्वारा कारण–पृच्छा किया गया। विपक्षी को डाक एवं दैनिक समाचार पत्र (दैनिक जागरण एवं दैनिक भास्कर) में दिनांक–29.08.2021 को प्रकाशन द्वारा नोटिस निर्गत किया गया। किन्तु उसके बाबजूद विपक्षी इस वाद में उपस्थित नहीं हुए। जिससे प्रतीत होता है कि विपक्षी को इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है। अतः वाद के अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर एकपक्षीय सुनवाई किया गया। विद्वान विशेष लोक अभियोजक, उत्पाद, खगड़िया का कथन है कि विपक्षी इस वाद में नोटिस के बाबजूद उपस्थित नहीं हुए जिससे स्पष्ट है कि उन्हें इस वाद में कोई अभिरूची नहीं है तथा अभियोजन के द्वारा किया गया कथन और उनके विरूद्ध गठित आरोप सत्य है। बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–13 में शराब अथवा मादक द्रव्यों को निषेध घोषित किया गया है। Section 13 : **Prohibition of liquor or intoxicants** – No Person shall manufacture, bottle, distribute, transport, collect, store, posses, purchase, sell or **consume any intoxicant or liquor.** बिहार मद्यनिषेध और उत्पाद अधिनियम, 2016 की धारा–30 में शराब के अवैध आयात, निर्यात, परिवहन, विक्रय आदि को दण्डनीय घोषित किया गया है। Section 30 : **Penalty for unlawful import, export, transport, manufacture, possession, sale, etc.**- Whoever, in contravention of provision of this Act or of any rule or order made or notification issued under this Act or in contravention of any condition of any license or permit or pass, renewed under this Act or without a valid license, permit or pass issued under this Act- (a) manufactures, possesses, buys, sells, distributes, collects, bottles, imports, exports, transports or removes any intoxicant or liquor.	

आदेश की क्रम सं0 और तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे मे टिप्पणी तारीख–सहित
	2.जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि वे थाना में रखा बजाज प्लेटिना मोटर साईकिल वाहन निबंधन सं0– **BR34L-8762** को मोटर यान निरीक्षक के माध्यम से मुआईना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अन्दर उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया को समर्पित करेंगे। **3.अधीक्षक उत्पाद, खगड़िया** को आदेश दिया जाता है कि उक्त वाहन की सार्वजनिक नीलामी की कार्रवाई करेंगे और नीलामी से प्राप्त धन राशि सरकारी खजाने में विधि–रीति से जमा करना भी सुनिश्चित करें। आदेश की प्रति उत्पाद आयुक्त, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को भेजें तथा आदेश की एक प्रति जिला के बेबसाईट पर भी प्रकाशनार्थ भेजें। उपर्युक्त विवेचना के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है। लेखापित एवं संशोधित। अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया। 18/11/21 अपर समाहर्त्ता, –सह– अपर जिला दण्डाधिकारी, खगड़िया। ज्ञा० सं० 605 दिनांक 18.11.21 प्रतिलिपि – उत्पाद आयुक्त बिहार पटना/पुलिस अधीक्षक खगड़िया/उत्पाद अधीक्षक खगड़िया/जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। प्रतिलिपि – N.I.C. खगड़िया को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित। 18/11/21 अपर समाहर्त्ता खगड़िया।	